भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5611

04 अप्रैल,2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक

5611. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आशा कार्यकर्ताओं की संख्या, उनके पारिश्रमिक और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आशा कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी से कम है और उन्हें किसी भी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा लाभ का फ़ायदा भी नहीं मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) : एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट (30.09.2024 तक) के अनुसार, गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशाकर्मियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक - I** में दिया गया है.

आशाकर्मियों को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधन सीमा के अन्तर्गत होती है।

आशाकर्मियों को देश में नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न

गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इन आशा प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा निम्नलिखित यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES.pdf

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशाकर्मियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का लचीलापन दिया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशाकर्मी निगरानी निष्पादन संकेतकों के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) (प्रति माह 1000 तक) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा गैर-आर्थिक प्रोत्साहनों यथा आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि की भी हकदार हैं। सरकार ने आशाकर्मियों के रूप में उनके योगदान के आभार के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाकर्मियों को प्रशस्ति-पत्र और 20 हजार का नकद पुरस्कार भी अनुमोदित किया है।
वर्ष 2018 में, आशा के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया था। यह पैकेज निम्न कवरेज प्रदान करता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये के लाभ (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम योगदान)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में सरकार ने दुर्घटना मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता होने पर 2.00 लाख रुपए के लाभ; आंशिक विकलांगता होने पर 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम योगदान)।

इसके अतिरिक्त, आशाकर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- प्रतिमाह के पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान और लाभार्थियों द्वारा 50%)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाओं को परिभाषित पात्रता मानदण्डों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आशाकर्मियों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य परिचर्या वार्षिक कवरेज प्रदान किया गया है।

*****

अनुलग्नक- I

<u>दिनांक 04.04.2025 के लिए निर्दिष्ट लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5611 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आशाकर्मी		
क्रम सं.	राज्य	आशा कर्मियों की संख्या
1	बिहार	96247
2	छत्तीसगढ़	72000
3	हिमाचल प्रदेश	8252
4	जम्मू और कश्मीर	13894
5	झारखंड	42361
6	मध्य प्रदेश	68584
7	ओडिशा	49367
8	राजस्थान	53914
9	उत्तर प्रदेश	172331
10	उत्तराखंड	11996
11	अरुणाचल प्रदेश	4051
12	असम	33542
13	मणिपुर	3971
14	मेघालय	7073
15	मिजोरम	1091
16	नागालैंड	2147
17	सिक्किम	676
18	त्रिपुरा	7808
19	आंध्र प्रदेश	42518
20	गुजरात	44604
21	हरियाणा	20299
22	कर्नाटक	40769
23	केरल	26448
24	महाराष्ट्र	76141
25	पंजाब	19295
26	तमिलनाडु	4866
27	तेलंगाना	28000
28	पश्चिम बंगाल	70468
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	422
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	462
31	दिल्ली	6306
32	लद्दाख	655
33	लक्षद्वीप	103
34	पुडुचेरी	331
कुल		**1030992**

टिप्पणी: गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मी है

स्रोत: एनएचएम-एमआईएस सितंबर 2024 तक अद्यतन।

*****